

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-66/2005 (खण्ड-1)

/कृ०, पटना, दिनांक

,2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री वेद प्रकाश,

मेसर्स सिन्जेन्टा इण्डिया लि०,

द्वारा-मेसर्स एच० आर० ट्रान्सपोर्ट,

C&F एजेंट, महात्मा गाँधी सेतु रोड,

(सम्राट पेट्रोल पम्प के नजदीक),

मौजा-कुम्हारार, थाना-अगमकुआँ,

पटना-7

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 84-85 दिनांक 16.09.2013 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान, अन्य संगत कागजातों तथा सहायक निदेशक (पौ० सं०) सर्वेलेंस मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित स्वनिर्मित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता के आलोक में कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-84-85 दिनांक 16.09.2013 का नवीकरण दिनांक 31.12.2015 तक के लिए किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Ziram 27% SC W/W	13	Difenoconazole 25% EC
2	Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC	14	Mandipropamid 23.4% SC
3	Penconazole 10%EC	15	Azoxystrobin 23% SC
4	Diafenthiuron 50% WP	16	Lamda-Cyhalothrin 4.9% CS
5	Chlorothalonil 75% WP	17	Difenoconazole 3% WS
6	Cypermethrin 25% EC	18	Propiconazole 13.9%+Difenoconazole 13.9% EC
7	Lufenuron 5.4% EC	19	Copper oxychloride 50% WP
8	Metalazyl M4%+Mancozeb 64% WP	20	Micronized wettable Sulphur 80% W/W
9	Pretilachlor 37% EC	21	Palcobutrazole 23% SC w/w
10	Metalaxyl-M 31.8% ES	22	Thiamethoxam 12.6%+lambda-Cyhalo thrin 9.5% ZC
11	Paraquat-Dichloride 24% SL	23	Pymetrozine 50% WG
12	Propiconazole 25% EC		

2-उपरोक्त कीटनाशी का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स सिन्जेन्टा इण्डिया लि०, द्वारा-मेसर्स एच० आर० ट्रान्सपोर्ट, C&F एजेंट, महात्मा गाँधी सेतु रोड, (सम्राट पेट्रोल पम्प के नजदीक), मौजा-कुम्हारार, थाना-अगमकुआँ, पटना-7

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-भारत सरकार से प्रतिबंधित कीटनाशी का बिक्री/भंडारण सर्वथा वर्जित है।

7-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

9-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता के अतिरिक्त राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

10-कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-84-85 दिनांक 16.09.2013 की मूल प्रति में संलग्न है। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / -

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2254

/कृ0, पटना, दिनांक 16.09.2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान)/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।